

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

30

पत्रांक : 82/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-2/2015-16 दिनांक 18/02/2016

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्ध यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में किस पर व्यक्तसाधिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मानिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भेदिकृत या स्वागित के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री विनाय कुनर खरबन्दा पुत्र स० मनोहर लाल खरबन्दा द्वारा भवन संख्या 21/39 शिव चरण लाल रोड इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत वांछित व्यक्तसाधिक/आवासीय भवन मानचित्र के काम में निर्मांकित प्रयोगों के अधीन प्रदान की जाती है :

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिगोण किया जाएगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में उपविधि संख्या-21.8 एवं 2.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. निर्मित किये जाने वाले भवन की संरचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता का वास्तविक सायं आवेदक का होगा।
5. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई चिन्तित देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका मुगतान/अनुपालन आवेदक को करना बाध्यकारी होगा।
6. अस्तुत मानचित्र सिट्टन्ट पार्किंग, प्रथम एवं द्वितीय तल पर शॉप तथा तृतीय तल पर आवासीय निर्माण की अनुमति हेतु है। तदनुसार ही निर्माण किया जाय एवं नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थल का उपयोग/उपयोग किया जाय।
7. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
8. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क असंपित करता है तो उसे वह को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. मकान निर्माण से यदि नाली के रुकने की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आस पास, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण रुक गई हो) को जानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से गरमन्त कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को रुन्तोष हो जाय, में कर देगा।
12. गृह निर्माण के समय इतका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंफ्रिजन्ट इलेक्ट्रिसिटी रूला 1965) नियम 52 का कर्त्तव्य किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये हों वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. शापेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदती का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में नास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

M. Kharbanda

(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्यधिकारी

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

SR. VIVEK KUMAR KHARWADA
SO. LATE MANCHERLA KHARWADA

OWNER -

ALLAHABAD
SCALE 1:100

PROPOSED COMM. RESID. BUILDING PLAN OF PART
OF P.L. NO. 21/39 (OLD ABAD), SHIVCHAMAN LAL ROAD


It is certified that the building plan has been prepared according
to Master Plan 2021, Zoning Plan and Building Bye-laws 2012.

- TOTAL AREA OF PLOT = 141.47 SQM
- LIVE CONC. IN FOUNDATION FLOORING OVER P.C.C. SLAB = 66.92 SQM (48.05%)
- COVERED AREA ON STILT F. = 66.92 SQM (48.05%)
- COVERED AREA ON F.F. = 66.92 SQM (48.05%)
- COVERED AREA OF S.F. = 66.92 SQM (48.05%)
- COVERED AREA OF T.F. = 66.92 SQM (48.05%)
- AREA OF MUNITY = 13.35 SQM
- OPEN AREA ON G.F. = 84.96 SQM
- ACHIVED F.A.R. = 1.98
- PROVIDE CAR PARKING = 40 NOS.

NOTE:

LIVE CONC. IN FOUNDATION FLOORING OVER P.C.C. SLAB

23 M FOUNDATION DETAIL



SECTION OF STAIR



Handwritten notes and signatures in the center of the page, including a signature and date.

